



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ: प्लेक्स/सर्क/177

दिनांक: 20 मई 2026

को

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य / सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: प्रवेश की अनुमति और पोत प्रस्थान की मंजूरी प्रदान करने से संबंधित प्रक्रियाओं का मानकीकरण

संदर्भ: सीबीआईसी परिपत्र संख्या 26/2026-सीमा शुल्क

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि उपर्युक्त परिपत्र बंदरगाहों पर प्रवेश और पोत प्रस्थान मंजूरी प्रदान करने के संबंध में अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में जारी किया गया है, जिन्हें कुछ मामलों में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पोत पर भौतिक रूप से चढ़ने से जोड़ा जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप माल संचालन के प्रारंभ और समापन में अनावश्यक देरी हो रही है।

एकसमान कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित स्पष्टीकरण और निर्देश जारी किए जाते हैं:

एससीएमटीआर के तहत सभी शिपिंग लाइनों और एजेंटों के लिए एसएएम/एसडीएम फाइल करना अनिवार्य है।

चालक दल के सामान, जहाज के भंडार और यात्रियों के विवरण को SAM/SDM में घोषित किया जाना चाहिए।

• ई-संचित के माध्यम से पीडीएफ फॉर्मेट में सहायक विवरण अपलोड करें, जिसमें आईआरएन आधारित संदर्भ शामिल हों।

• सीमा शुल्क अधिकारी ऑनलाइन फाइलिंग के आधार पर दूरस्थ रूप से प्रवेश और प्रस्थान की मंजूरी प्रदान करेंगे।

जहाजों पर शारीरिक रूप से चढ़ने की प्रक्रिया स्वतंत्र है और यह केवल जोखिम-आधारित प्रोफाइलिंग के आधार पर ही की जाएगी।

• माल ढुलाई कार्यों में देरी से बचने के लिए हितधारकों को समय पर और सटीक ऑनलाइन फाइलिंग सुनिश्चित करनी चाहिए।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे यहां दिए गए आधिकारिक परिपत्र का संदर्भ लें:

https://membership.plasticsepc.org/mails_images/202605200102_36.pdf

यह सूचना के लिए है।

साभार

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकौन्सिल